

Dated the 26th February, 2004.

OFFICE MEMORANDUM

Mobile Phones in respect of entitled categories of Government employees.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. of even number dated 14.1.2004, on the subject mentioned above and to state that clarifications have been sought by various Ministries/Departments about certain issues in regard to use of personal handset, roaming/STD facility on mobile phone and the scheme of MTNL/BSNL to be adopted etc.

2. The clarifications/doubts raised by various quarters have been duly examined and following clarifications are issued in regard to use of mobile phone by the entitled categories of Government employees:-

- (i) Provisions of this O.M. and the O.M. of even number dated 14.1.2004 shall apply only to the officers holding posts of Joint Secretary and Additional Secretary to Government of India. Secretaries to Government of India would continue to be covered by provisions of O.M. No.5(3)/E.Coord./2002 dated 1.1.2003.
- (ii) The limit of Rs.500/- per month on account of call charges would be reimbursed in cases where the officers concerned are using their own handsets.
- (iii) Roaming/STD facility will also be allowed subject to the condition that monthly ceiling of Rs.500/- is not exceeded.
- (iv) Eligible officers may, at their discretion, also opt for GSM Cellular mobile network services offered by MTNL/BSNL. In this case, however, no handset will be provided and the officers concerned will need to use their personal handsets.
- (v) Concerned Ministries/Departments may adopt any of the schemes on offer from MTNL/BSNL subject to the condition that the rent payable for the scheme does not exceed Rs.300 plus service tax per month.

3. All Ministries/Departments may strictly regulate this facility in conformity with this Ministry's O.M. of even number dated 14.1.2004 read with the aforesaid clarifications. It is reiterated that no additional funds shall be provided for this facility and concerned ministries/departments/organizations will have to meet all the expenditure on this account within the existing budget for 'Office Expenses - Telephones'.


(Sushama Nath)

Joint Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India

सं. 7(3)संस्था.समन्वय/2003

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

दिनांक, २६/१/२००४

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी कर्मचारियों की हकदारी श्रेणियों के संबंध में मोबाइल फोन की सुविधा ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 14.1.2004 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा मोबाइल फोन के व्यक्तिगत हैंडसेट का उपयोग करने, उसकी रोमिंग/एस.टी.डी. सुविधा तथा एम.टी.एन.एल./बी.एस.एन.एल. द्वारा अपनाई जाने वाली स्कीम आदि संबंधी कुछ मुद्दों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

2. विभिन्न कार्यालयों द्वारा माँगे गए स्पष्टीकरण/किए गए संदेहों की विधिवत जाँच की गई है तथा सरकारी कर्मचारियों की हकदारी श्रेणियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल के संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं :-

- (i) इस कार्यालय ज्ञापन और दिनांक 14.1.2004 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान भारत सरकार के संयुक्त सचिव और अपर सचिव का पद धारण करने वाले अधिकारियों पर ही लागू होंगे । भारत सरकार के सचिव का. ज्ञा. संख्या 5(3) /संस्था समन्वय/2002, दिनांक 1.1.2003 के प्रावधान ही लागू रहेंगे ।
- (ii) कॉल प्रभासों पर 500 रूपए प्रति माह तक की प्रतिपूर्ति उन मामलों में की जाएगी जहाँ संबंधित अधिकारी अपने स्वयं के हैंडसेटों का इस्तेमाल कर रहे हैं ।
- (iii) रोमिंग/एस.टी.डी. की सुविधा भी इस शर्त पर दी जाएगी कि इसकी मासिक अधिकतम सीमा 500/- रूपए से अधिक नहीं होगी ।
- (iv) पात्र अधिकारी अपने विवेक से एम.टी.एन.एल./बी.एस.एन.एल. द्वारा पेश जी.एस.एम. सेलूलर मोबाइल नेटवर्क सर्विस को भी चुन सकते हैं । इस मामले में, हालाँकि कोई हैंडसेट मुहैया नहीं कराया जाएगा तथा संबंधित अधिकारियों को अपने व्यक्तिगत हैंडसेटों का इस्तेमाल करना होगा ।
- (v) संबंधित मंत्रालय/विभाग एम.टी.एन.एल./बी.एस.एन.एल. की पेशकश पर किसी भी स्कीम को अपना सकते हैं । बशर्ते कि इस स्कीम के लिए देय किराया 300 रूपए जमा सेवा कर प्रति माह से अधिक न हो ।

3. सभी मंत्रालय/विभाग उपर्युक्त स्पष्टीकरणों के साथ पठित इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14.1.2004 के समनुरूप इस सुविधा को सख्ती से विनियमित करें । पुनः यह दोहराया जाता है कि इस सुविधा हेतु कोई निधियाँ मुहैया नहीं कराई जाएगी तथा संबद्ध मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को इस खाते पर होने वाले समस्त खर्च की भरपाई 'कार्यालय व्यय-टेलीफोन' खाते से ही करनी होगी ।

सुषमा नाथ

(सुषमा नाथ)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रति : भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।